



UPLK010134052020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

एफ0आर0 सं0-217 / 2020

श्रीमती पराना बनाम गया प्रसाद आदि

मु0अ0सं0-294 / 2020

धारा-147,323,452,504,506 भा0दं0सं0 एवं

धारा 3(1)द, ध एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट

थाना-माल, जिला लखनऊ।

02.03.2024

पत्रावली पेश हुई।

प्रस्तुत एफ0आर0 वाद वर्ष 2020 से लंबित है। वादिनी पर नोटिस का तामीला होने के बावजूद वादिनी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी वादिनी की ओर से न तो कोई उपस्थित हो रहा है और न ही वादिनी की ओर से एफ0आर0 के विरुद्ध कोई आपत्ति या प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है।

विवेचक द्वारा संग्रहित साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि घटना का स्वतंत्र एवं चश्मदीद साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है।

वर्णित परिस्थितियों में अ0सं0 294 / 2020 धारा-147, 323, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट थाना-माल, जिला लखनऊ में प्रस्तुत अंतिम आख्या दिनांकित 08.08.2020 स्वीकार किये जाने योग्य है और उस पर आधारित एफ0आर0 वाद 217 / 2020 निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

अंतिम आख्या दिनांकित 08.07.2020 स्वीकार की जाती है एवं उस पर आधारित एफ0आर0 वाद संख्या 217 / 2020 मु0अ0सं0 294 / 2020 धारा-147, 323, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट थाना-माल, जिला लखनऊ तदनुसार निस्तारित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश कुमार मिश्र)

दिनांक: 02-03-2024

विशेष न्यायाधीश एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

जेओ कोड-यूपी06085